

प्रेषक

ए०एस० पांगती,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत तानगला-नन्दगांव-डडूर मोटर मार्ग से बगासूधार इंटर कॉलेज तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रों का, लोक निर्माण विभाग, टिहरी गढ़वाल द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लम्बाई 250 किमी। तथा कुल लागत ₹ 13.30 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणों परान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 13.30 लाख (₹० तेरह लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(i) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं:—1764 / III(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) — आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट मे स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदमपि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v) — आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)— स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एनोपी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफिटंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-२२ लेखाशीर्षक-५०५४ सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-०४ जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-८००-अन्य व्यय-०५-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि

अधिग्रहण-00 -24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।


(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं-02-लेखाशीषक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।


(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1097 / XXVII/(2)/2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवद्वीय,

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

संख्या— / 111(2) / 17-56(प्रा०आ०) / 2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

आवंटन पत्र संख्या - 14/III(2)/16-56(P.E)/2016

अनुदान संख्या - 022

अलोटमेंट आई डी - S1701220064

आवंटन पत्र दिनांक - 04-Jan-2017

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

1: लेखा शीर्षक	5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04 - जिला तथा अन्य सड़के
	800 - अन्य व्यय	
	03 - राज्य मेक्टर	
	02 - नया निर्माण कार्य	

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - बहुत निर्माण कार्य	9110000	10000	9120000
	9110000	10000	9120000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

10000

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-।" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>E-mail: eicpwd.uk@nic.in

पत्रांक- ३। / २० यातार्क' / २०१७

दिनांक- ०५.०१.२०१७

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति सम्बन्धित खण्डीय कार्यालय को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।